

अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

पत्र संख्या-6 / ब0गै0यो0-01-30 / 2015गृ0आ0..... /

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),  
बिहार, पटना

द्वारा:- वित्त विभाग

पटना, दिनांक

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना के माँग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-  
पुलिस, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0005- स्पेशल  
ऑक्जिलरी पुलिस हेतु, विषय शीर्ष 13 06-वर्दी/पोशाक तथा विपत्र कोड  
N2055001090005 के अन्तर्गत संभावित बचत राशि में से मुख्यशीर्ष  
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, उप मुख्यशीर्ष 00, लघु शीर्ष 090-सचिवालय,  
उपशीर्ष 0006-गृह (आरक्षी) विभाग, विषय शीर्ष 01 01- वेतन एवं  
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा विपत्र कोड N2052000900006 के  
अन्तर्गत क्रमशः ₹ 65,00,000 एवं ₹ 19,00,000 यानि कुल 84,00,000 (चौरासी  
लाख रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश:- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0:- अनुसूची

बिहार राज्यपाल के आदेश से


ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0:-6 / ब0गै0यो0-01-30 / 2015गृ0आ0.....<sup>14</sup>.....पटना, दिनांक 28.01.2016

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त  
विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह  
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव